हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 124

शनिवार, 27 अगस्त, 2016/5 भाद्रपद, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. <u>प्रश्नोत्तरः</u>

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2727, 3092, 3142 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3464, 3465 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3466 से 3494 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(तारांकित प्रश्न संख्या 3465 पर किए गए अनुपूरक प्रश्नों के माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तरों से असन्तुष्ट विपक्ष ने पूर्वाह्न 11.38 बजे सदन से वॉक आउट किया।)

(पूर्वाह्न 11.50 बजे विपक्ष सदन में पुनः उपस्थित हुआ।)

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 से 1468 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए ।

12.00 PM

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, अनुभाग अधिकारी/सहायक पंजीयक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)-बी(2)9/99 दिनांक 16.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.06.2016 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के गठन की अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)-बी(1)-1/98-पार्ट दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निबन्धन और शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य) प्रथम संशोधन नियम, 2016 जोकी अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)-बी(1)-1/98-III दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित; और

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)-डी(3)-4/2001-III दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित।

(2) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, कुशल ग्राफ्टर/मुख्य माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एच0टी0सी0-बी(2)3/2000 दिनांक 27.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.08.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने संस्था अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1996 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना एवं अधिकार व प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15

(ii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;

(iv) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः ईन्ड-ए(ए)3-2/99(ईस्ट)-I दिनांक 23.12.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.01.2016 को प्रकाशित।

(5) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(5) के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षक) हि0प्र0 द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **152वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित है तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **153वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित है तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **154वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित है तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **149वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 87वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति का **150वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 134वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति का **151वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 136वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **38वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 6वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12.03 PM

4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-</u>

(1) **श्री महेन्द्र सिंह** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत टिहरा-चोलथरा-रखोह में पेयजल की नियमित आपूर्ति न होने" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री महेन्द्र सिंह ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"इन्दिरा गान्धी मेडिकल कॉलेज, शिमला में कार्यरत्त SRL Diagnostics द्वारा खून की जाँच में बिमारियों की गलत रिपोर्ट तथा Liver से सम्बन्धित Test की मशीन न होने" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया।

(3) **श्री रणधीर शर्मा** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"ज़िला अस्पताल, बिलासपुर में डॉक्टरों की कमी के कारण, दो माह से ऑपरेशन न होने" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रणधीर शर्मा ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया।

(अपराह्न 1.15 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.15 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

5. <u>विधायी कार्यः-</u>

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना</u>

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) पुरःस्थापित हुआ।

(II) <u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा की :-

1. श्री सुरेश भारद्वाज
2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री रणधीर शर्मा

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 54 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) पारित हुआ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) पारित हुआ।

(iii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा की :-

1. डा0 राजीव बिंदल

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 12 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) पारित हुआ।

(iv) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पारित हुआ।

(v) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा की :-

1. श्री महेन्द्र सिंह
2. श्री महेश्वर सिंह
3. श्री सुरेश भारद्वाज
4. डा0 राजीव बिंदल
5. श्री अनिरूद्ध सिंह

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
डा0 राजीव बिंदल ने स्पष्टीकरण पूछा।
माननीय शहरी विकास मन्त्री ने उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 पर माननीय शहरी विकास मन्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किए।

संशोधन स्वीकार हुए।

खण्ड 2 और 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

खण्ड 4 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) संशोधित रूप में पारित हुआ।

(vi) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।
निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्रीमती आशा कुमारी
2. डा0 राजीव बिंदल

शहरी विकास मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
डा0 राजीव बिंदल ने स्पष्टीकरण पूछा।
शहरी विकास मन्त्री ने उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 42 पर माननीय शहरी विकास मन्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किया।

संशोधन स्वीकार हुआ।
खण्ड 42 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

खण्ड 2 से 41 तथा 43 से 49 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को सांशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) संशोधित रूप में पारित हुआ।

(vii) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा की :-

1. श्री सुरेश भारद्वाज

शहरी विकास मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
श्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्टीकरण पूछा।
शहरी विकास मन्त्री ने उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 6 पर शहरी विकास मन्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किया।
संशोधन स्वीकार हुआ।

खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

खण्ड 2 से 5 तथा 7 से 9 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) संशोधित रूप में पारित हुआ।

04.50 PM

6. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेखः-</u>

सर्वश्री गुलाब सिंह ठाकुर, बिक्रम सिंह जरयाल, कुलदीप कुमार, महेन्द्र सिंह, सुरेश कुमार, कृष्ण लाल ठाकुर, माननीय सदस्यों की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

7. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः-</u>

श्री महेन्द्र सिंह के प्रस्ताव को कि "प्रदेश की वर्तमान परिवहन नीति पर यह सदन विचार करे" को प्रस्तुत हुआ समझा गया तथा सम्बन्धित मन्त्री द्वारा उत्तर दिया गया समझा गया।

तत्पश्चात् विपक्ष के सदस्य **श्री जय राम ठाकुर** ने एक हत्या के मामले को उठाते हुए कहा कि बीती रात को मेरे चुनाव क्षेत्र में एक बीस साल की लड़की की किसी तेज़ हथियार से हत्या कर दी गई और उसकी लाश बरामद हुई है। लड़की का नाम कृष्णा है तथा वह भाड़कीधार गांव की रहने वाली थी।

इसी प्रकार शिलाई में दो नौजवानों की मृत्यु हुई है जिनकी लाश भी बरामद हुई है। मैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इन दोनों स्थानों पर हुई हत्याओं के जाँच के आदेश शीघ्रातिशीघ्र दें ताकि सच्चाई सामने आ सके।

इस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने दो स्थानों पर हुई वारदातों का ज़िक्र किया है, आप मुझे इनके बारे में लिखकर दें, सरकार इनकी छानबीन करवाएगी तथा दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया जाएगा।

04.55 PM

8. <u>नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चाः-</u>

श्री इन्द्र सिंह ने निम्न विषय पर चर्चा उठाईः-

"**दिनांक 24 अगस्त, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3364 के उत्तर से उत्पन्न विषय**"

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 5.30 तक बढ़ाई गई)

सदन के नेता व मुख्य मन्त्री श्री वीरभद्र सिंह ने सत्र की समाप्ति पर कहाः-

"अध्यक्ष महोदय, आज लम्बी कार्यवाही के बाद विधान सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा रही है। यह जो सारा सत्र था इसके अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर विचार हुए हैं और आम तौर पर सौहार्द रूप से यहां पर कार्यवाही हुई है। सभी ने इस माननीय सदन की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा का अपना एक खास स्थान देश की अन्य विधान सभाओं में रहा है और वह है-अनुशासन, परस्पर सद्भावना और मिल जुल कर काम करना। यह हमारी बहुत पुरानी परम्परा है।

इसको हमें कायम रखना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय को और जो सभापति पदासीन हुए हैं, विपक्ष के नेता और पक्ष व विपक्ष के सभी साथियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। सभी के साथ काम करने से और उनके सहयोग से यह सत्र कामयाब हुआ है, सफल हुआ है और आमतौर पर शान्तिपूर्वक चला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों, मेरे सहयोगी मंत्रियों का भी धन्यवाद करता हूँ और विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।"

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने कहाः-

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का वर्षाकालीन सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। जैसा माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि यद्यपि यह पांच सिटिंग्ज़ का ही सत्र था, अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दे माननीय सदस्यों ने दोनों पक्ष की तरफ से उठाए। उन पर चर्चा भी हुई। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वभाविक है। सत्ता पक्ष का अपना पक्ष होता है और विपक्ष की अपनी राय होती है। कई क्षण ऐसे भी आए जिसमें लगा कि टकराव हो रहा है, लेकिन कई क्षणों में बहुत सहमति के आसार भी इस बार रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को भी कि हमारे दो माननीय सदस्यों, श्री गुलाब सिंह ठाकुर एवं श्री महेन्द्र सिंह जी ने गैर-सरकारी कार्य दिवस पर दो संकल्प यहां रखे थे, उन दोनों को सदन के द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया जो लोकतंत्र की एक स्वस्थ परम्परा का प्रमाण है। जब तक मतभेद होता है या विचार में भिन्नता होती है तो टकराव भी स्वाभाविक होता है लेकिन लांकतंत्र की यही खूबी है कि अगले ही क्षण वह सदभाव में बदल जाता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले सत्र में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। अध्यक्ष जी, आपने, उपाध्यक्ष महोदय ने और जो पैनल में माननीय सदस्य हैं, जब-जब इनको सभापति का कार्य करने का मौका मिला, तब-तब इन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाने का प्रयास किया। आपके सचिवालय ने, अधिकारियों ने और सभी माननीय सदस्यों ने और मीडिया (प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक) ने विधान सभा की कार्यवाही को बहुत ज्यादा प्रसारित और प्रचारित किया है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे माननीय सदस्य

मीडिया की जानकारी के आधार पर ही उठा सके हैं। मैं सबको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और सबको आने वाले सत्र तक की शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद।"

माननीय अध्यक्ष ने सत्र की समाप्ति पर निम्न शब्द कहेः-

"इस सत्र की 5 बैठकें आयोजित हुई। इन बैठकों के दौरान जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा एवं वाद-विवाद हुआ। माननीय सदस्यों ने जो चर्चा के विषय उठाए और जो सार्थक सुझाव दिए उनके लिए वे बधाई के पात्र है।

नियम-62 के अन्तर्गत 4 विषयों पर चर्चा की गई। नियम 101 के अन्तर्गत दो गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए जिन पर सार्थक चर्चा की गई और दोनों संकल्पों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

इस सत्र के दौरान कुल मिला कर 217 तारांकित तथा 91 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

सत्र की प्रथम बैठक में ही सभा द्वारा संविधान एक सौ बाईसवां संशोधन विधेयक, 2014 का सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया गया। 8 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित एवं पारित हुए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 10 विषय सभा में उठाए गए तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की सूचना सभा को दी गई।

सभा की समितियों ने भी 25 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए।

इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए।

अन्त में, मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ कि आपने सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। विशेषतौर पर सदन के नेता श्री वीरभद्र सिंह और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल माननीय नेता विपक्ष का खासतौर पर धन्यवादी हूं उन्होंने इस सदन के संचालन में पूरा सहयोग और मार्गदर्शन दिया। माननीय मन्त्रीगण एवं सदस्यों ने भी सदन के संचालन में मुझे पूरा सहयोग दिया है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी सदन के संचालन में इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा।

सदन के संचालन में माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापति तालिका के सदस्यों का भी आभारी हूँ जिन्होंने सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। प्रेस के बन्धुओं और प्रिन्ट मिडिया के साथियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात सेवाएं दी, वे प्रशंसनीय है।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, इस सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया)

(अपराह्न 5.20 बजे सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)